UPBH010008572013

<u>न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बहराइच।</u>

उपस्थितः श्री सुनील प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. CODE – UP6414

<u>सत्र परीक्षण संख्या–19/2013</u>

राज्य----------**अभियोगी।**

बनाम

1. शिल्पी श्रीवास्तव पत्नी रितेश श्रीवास्तव,

2. रितेश श्रीवास्तव पुत्र अवधेश श्रीवास्तव,

निवासीगण–पुरानी बाजार नानपारा, थाना–को० नानपारा, जनपद–बहराइच।

-------**अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या–1254/2011,

धारा–302, 201 भा.द.सं.,

थाना–को० देहात, जिला–बहराइच।

निर्णय दिनांक–28.03.2026

अपराध की दिनांक व समय	30.08.2011, समय 02:00 बजे दिन के बाद
एफ०आई०आर० की दिनांक व समय	30.08.2011, समय 22:00 बजे व 31.08.2011, समय 18:20 बजे
आरोप पत्र की दिनांक	15.10.2011
आरोप विरचित की दिनांक	10.12.2014
निर्णय दिनांक	28.03.2026

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

<u>अभियोजन साक्षी–</u>

PW–1	शैलेन्द्र श्रीवास्तव
PW–2	उमेश कुमार पाण्डेय

PW–3	जया श्रीवास्तव
PW–4	फूलमती
PW–5	डॉ० बृजेश श्रीवास्तव
PW–6	बहादुर उर्फ लाल बहादुर
PW–7	योगेन्द्र नाथ सिंह रिटायर्ड एस.एच.ओ. (लिपिकीय त्रुटिवश PW–6 अंकित हो गया)
PW–8	रिटायर्ड निरीक्षक जयकरन सिंह

अभियोजन प्रलेखीय साक्ष्य मय प्रदर्श–

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	मूल तहरीर
2.	प्रदर्श क–2	फर्द बरामदगी माल
3.	प्रदर्श क–3	फर्द सं०–2
4.	प्रदर्श क–4	फर्द सं०–3
5.	प्रदर्श क–5	फर्द बरामदगी एक अदद मोटरसाइकिल
6.	प्रदर्श क–6	आरोप–पत्र
7.	प्रदर्श क–7	एफ.आई.आर.
8.	प्रदर्श क–8	कार्बन प्रति जी.डी. कायमी
9.	प्रदर्श क–9	नक्शा–नजरी
10	प्रदर्श क–10	पोस्टमार्टम(लिपिकीय त्रुटिवश प्रदर्श क–2 अंकित हो गया था)
11	प्रदर्श क–11	फर्द लाश (लिपिकीय त्रुटिवश प्रदर्श क–7 अंकित हो गया था)
12	प्रदर्श क–12	पंचनामा(लिपिकीय त्रुटिवश प्रदर्श क–8 अंकित हो गया था)
13	पेपर सं०–5ए/4, 5ए/5	विधि–विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट

निर्णय

1. आरोप की प्रकृति

प्रस्तुत मामले में थाना–को० देहात, जनपद बहराइच की पुलिस द्वारा

मुकदमा अपराध संख्या–1254/2011 में अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव, रितेश श्रीवास्तव व बाल अपचारी (x) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०द०सं० के अन्तर्गत **आरोप–पत्र** प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. अभियोजन तथ्यात्मक परिस्थितियां

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रथम सूचना दाता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बड़े भाई मृतक जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के सम्बन्ध में दिनांक 30–08–2011 को गुम हो जाने की सूचना दी थी। दिनांक–31–08–2011 को प्रथम सूचना दाता की भाभी मृतक की पत्नी जया श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक–30–08–2011 को दोपहर में शिल्पी श्रीवास्तव का फोन डॉक्टर को दिखाने के लिए मृतक के पास आया था। शिल्पी श्रीवास्तव चाचा की पुत्री है। जया श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक उनकी मोटरसाइकिल से आशुतोष कुमार श्रीवास्तव के साथ गए थे। शिल्पी श्रीवास्तव व रितेश कुमार श्रीवास्तव में प्रेम था। मजबूर होकर 2007 में सभी परिवार मिलकर शादी करा दिए। जीतेन्द्र कुमार परिवार के बिना मर्जी से शादी चुनने पर शिल्पी का सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे, जिससे शिल्पी उसका पति रितेश, जीतेन्द्र से नाराज रहते थे। पिछले रक्षाबन्धन रितेश व शिल्पी खत्रीपुरा शिल्पी का मायका है, वहां आए थे। दोनों ने माफी मांग लिया था। दिनांक–31–08–2011 को शिल्पी के घर पहुँचा तो ताला लगा था। आशुतोष के घर जाकर पूछा तो बताया कि कल जीतेन्द्र को करीब दो बजे दिन में शिल्पी के घर छोड़कर चला गया था, और कुछ नहीं जानता। शिल्पी के घर खत्री पुरा आया तो वहाँ भूतल पर किराएदार उमेश पाण्डेय मिले, उन्होंने बताया कि शिल्पी रितेश व रितेश का दोस्त वजीर कल दिनांक–30–08–2011 को आठ बजे सायं अपना सामान दो बोरी में रखकर इण्डिका कार से चले गए। मेरे सामने ही जीतेन्द्र कुमार अपनी मोटर साइकिल से एक आदमी के साथ दरवाजे पर आए, व्यक्ति दरवाजे से चला गया, जीतेन्द्र कुमार सीढ़ी से ऊपर चले गए, मैं नहीं जानता कि ऊपरी तल पर कहाँ गए, उनकी मोटरसाइकिल कहाँ है। उमेश पाण्डेय ने बताया कि एक आदमी पैदल ही बडीटाट की ओर से खत्रीपुरा होकर जा रहा था, जो इण्डिका कार से करीब आठ बजे जा रहे थे, मकान मालिक की लड़की व उसकी लड़की नमस्कार किए। काफी तलाश करने पर शिल्पी व रितेश का मोबाइल से सम्पर्क करना चाहा तो बंद मिला। इण्डिका कार का

नम्बर यू.पी. 40 के. 2865 है। रितेश व शिल्पी के प्रेम विवाह के विरोध से, सामाजिक बहिष्कार से मेरे भाई जीतेन्द्र से काफी रंजिश रखते थे, इस कारण रितेश व उसके साथी वजीर ने रंजिश से मेरे भाई की हत्या कर दी। अभियोजन कथानक से विदित होता है कि प्रश्नगत मामले में हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त शिल्पी व रितेश ने प्रेम विवाह किया था, जिससे मृतक ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, प्रेम विवाह का विरोध किया था। मृतक को अंतिम बार अभियुक्तगण केा साथ देखा गया था।

3. विवेचना कार्यवाही

(1) वादी मुकदमा की उपरोक्त सूचना के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०द०सं० के अन्तर्गत थाना–को० देहात, जनपद बहराइच में अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव, रितेश श्रीवास्तव व बाल अपचारी (x) के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

(2) विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट, बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाह व तमामी तफ्तीश से अभियुक्तगण आनन्दराम व सुखदेव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०द०सं० में अपराध किये जाने के बावत आरोप–पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आरोप

(1) विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव, रितेश श्रीवास्तव व बाल अपचारी (x) के विरुद्ध प्रेषित उक्त आरोप पत्र पर मामले का संज्ञान लिया गया।

(2) अभियुक्त बाल अपचारी (x) के विरूद्ध आरोप–पत्र दिनांक–18.11.2011 को किशोर न्याय परिषद के समक्ष पेश किया गया।

(3) विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक–19.12.2012 को पत्रावली सत्र न्यायालय में प्रेषित की गई। अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव न्यायालय में उपस्थित आये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोप विरचन का पर्याप्त आधार पाते हुये न्यायालय द्वारा दिनांक–10.12.2014 को अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव के विरुद्ध

अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०द०सं० के अन्तर्गत विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपो से निर्दोष होने का कथन किया गया तथा विचारण की याचना की गयी।

5. अभियोजन साक्ष्य

दौरान विचारण अभियोजन द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य PW–1 शैलेन्द्र श्रीवास्तव, PW–2 उमेश कुमार पाण्डेय, PW–3 जया श्रीवास्तव, PW–4 फूलमती, PW–5 डॉ० बृजेश श्रीवास्तव, PW–6 बहादुर उर्फ लाल बहादुर, PW–7 योगेन्द्र नाथ सिंह रिटायर्ड एस.एच.ओ. व PW–8 रिटायर्ड निरीक्षक जयकरन सिंह के रूप में परीक्षित किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से मूल तहरीर प्रदर्श क–1, फर्द बरामदगी माल प्रदर्श क–2, फर्द सं०–2 प्रदर्श क–3, फर्द सं०–3 प्रदर्श क–4, फर्द बरामदगी एक अदद मोटरसाइकिल प्रदर्श क–5, आरोप–पत्र प्रदर्श क–6, एफ.आई.आर. प्रदर्श क–7, कार्बन प्रति जी.डी. कायमी प्रदर्श क–8, नक्शा–नजरी प्रदर्श –9, पोस्टमार्टर प्रदर्श क–10 (लिपिकीय त्रुटिवश प्रदर्श क–2 अंकित हो गया है), फर्द लाश प्रदर्श क–11 (लिपिकीय त्रुटिवश प्रदर्श क–7 अंकित हो गया है), पंचनामा प्रदर्श क–12 (लिपिकीय त्रुटिवश प्रदर्श क–8 अंकित हो गया है) व पेपर सं०–5 ए/4, 5 ए/5 विधि–विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये है।

7. कथन अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं०

(1) अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दिनांक–05.02.2026 को अभिलिखित किया गया।

(2) अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये सम्पत्ति के लालच में मुकदमा चलाना बताया है।

8. अभियोजन साक्ष्य – संक्षिप्त विवरण

(1) अभियोजन की ओर से **PW–1 शैलेन्द्र श्रीवास्तव** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "घटना दिनांक–30.08.2011 की है। गुमशुदगी की सूचना मैंने थाने पर दी थी। मेरे पास मेरी भाभी श्रीमती जया श्रीवास्तव का फोन हमारे पास आया था कि आपके भईया जितेन्द्र

श्रीवास्तव का फोन नहीं लग रहा। आप देखिए की वह कहाँ है। फिर हमने अपने फोन से उनको फोन लगाया। फोन नहीं रिसीव हुआ। हम उनको अपने मित्रों के साथ ढूढ़ना शुरू किए। फोन पर बात करने के बाद हमारी भाभी ने और कोई बात नहीं बताई थी। दिनांक–31.08.2011 को हमने को० देहात में मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।" फिर गवाह ने कहा कि "दिनांक–30.08.2011 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके अगले दिन भाभी श्रीमती जया श्रीवास्तव ने बताया कि 31.08.2011 सुबह आपके भईया का मोबाइल पर शिल्पी श्रीवास्तव का फोन आया था। हमारी तबीयत खराब है। हमको डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो आप एक बार जाकर शिल्पी के घर जाकर देख लिजिए, वहाँ देख लिजिए और भाभी ने साथ में घर भी बताया कि यहाँ से आशुतोष श्रीवास्तव, जितेन्द्र श्रीवास्तव की मोटर साइकिल से शिल्पी श्रीवास्तव के घर गए ते। उनसे भी पूछ लेना फिर मैं शिल्पी श्रीवास्तव के घर आया तो गेट पर ताला लगा हुआ था, फिर मैं सीधे आशुतोष श्रीवास्तव के घर गया। आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि हम जितेन्द्र भईया को शिल्पी श्रीवास्तव के घर छोड़कर अपने घर चले आए थे। मैं आशुतोष श्रीवास्तव के घर दिनांक–31.08.2011 को गया। फिर मैं आशुतोष श्रीवास्तव के यहाँ से लौट कर शिल्पी श्रीवास्तव के घर गया। शिल्पी श्रीवास्तव के घर में ताला लगा हुआ था। आस–पास के लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि शिल्पी श्रीवास्तव व उनका पति रितेश श्रीवास्तव उनके साथ में एक लड़का और था। वह लोग कल शाम 30.08.2011 कको अपनी इन्डिका कार से बड़े–बड़े थैले में सामान लेकर दो बड़ा थैला लेकर गाड़ी से कही गए हैं, फिर हमने शिल्पी श्रीवास्तव के नम्बर पर फोन लगाया। कई बार फोन लगाने पर फोन नहीं रिशीव हुआ, तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि यह लोग मेरे बड़े भाई जितेन्द्र श्रीवास्तव की हत्या कर दी है, क्योंकि कुछ साल पहले शिल्पी श्रीवास्तव का रितेश श्रीवास्तव से प्रेम सम्बन्ध था, जो हमारे बड़े भईया जितेन्द्र श्रीवास्तव को पसन्द नहीं था, जिसकी वजह से रितेश श्रीवास्तव मेरे भईया जितेन्द्र श्रीवास्तव से रंजिश रखते थे और आना जाना नहीं था, पर विगत पिछले रक्षाबन्धन से शिल्पी श्रीवास्तव अपने पति रितेश श्रीवास्तव के साथ खत्रीपुरा बहराइच अपने पापा के मकान जगजीवन लाल श्रीवास्तव के मकान में रहने लगी थी और मेरे भईया से रितेश श्रीवास्तव ने माफी मांग लिया था और उनको शान्त करा दिया था। घटना

से सम्बन्धी दरख्वास्त थाना हाजा पर दिया था। साक्षी द्वारा दी गई तहरीर सामिल पत्रावली है, जिस पर साक्षी ने अपना हस्ताक्षर पहचाना और जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया, जिसकी साक्षी ने पुष्टि की। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने हमसे पूछ–ताछ किया था।"

(2) अभियोजन की ओर से **PW–2 उमेश कुमार पाण्डेय** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "मोहल्ला खत्रीपुरा में मैं जगजीवन लाल श्रीवास्तव के मकान पर 2010 से 2011 तक किराए पर रहता था। मैं जग जीवनलाल श्रीवास्तव के परिवार के लोगों को जानता–पहचानता हूँ। जगजीवन लाल श्रीवास्तव के बेटा है, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। जग जीवनलाल की एक बेटी थी। उसका नाम शिल्पी श्रीवास्तव है। जग जीवन लाल के भतीजे का नाम जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव। दोनों लोग एम.आर. थे, मैं भी एम.आर. हुँ, इसलिए मैं उन दोनों लोगों को जानता था। जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आखिरी बार जगजीवन लाल के यहाँ किस तारीख को गए थे, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरा किराया था, कमरा भूतल पर था। जगजीवन लाल का कमरा प्रथम तल पर था। घटना दिनांक–31.08.2010 या 2011 में हुई थी। घटना वाले दिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। घटना कारित होने के बाद मुझे इस बात की जानकारी हुई कि जीतेन्द्र श्रीवास्तव का खून हो गया है। शिल्पी श्रीवास्तव की शादी किसके साथ हुई थी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। शादी के 01 वर्ष के अंदर शिल्पी का अपने पति से विवाद था कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शिल्पी श्रीवास्तव ने प्रेम विवाह किया था तथा इसके लिए जीतेन्द्र श्रीवास्तव उनका विरोध करते थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। घटना के बारे में दरोगा जी ने मुझसे केवल यह पूछा था कि क्या आप घटना के समय मौजूद थे। मैंने मना कर दिया था। दरोगा जी ने खाली पेपर पर मेरे हस्ताक्षर करावा लिए थे। घटना वाले दिन मैं लगभग रात के 11 बजे घर पर आया था। दरोगा जी घर पर मेरे सामने नहीं आए थे। मुझे कोतवाली बुलाया था। किसने मुझे कोतवाली जाने को कहा था, मुझे याद नहीं है। दरोगा जी ने मुझसे कोई बताचीत नहीं की थी। दरोगा जी ने मुझसे 2–3 कागजात पर हस्ताक्षर कराए थे। मैं 01 सितम्बर को दरोगा जी के बुलाने पर थाने गया था। दिनांकि–01 सितम्बर को दरोगा जी घटना स्थल पर मेरे सामने नहीं आए थे। फर्द बरामदगी माल घटना स्थल

दिनांकित–01.09.2011 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श –2** डाला गया। फर्द सं० 02 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इसी क्रम में फर्द सं०–3 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। फर्द **प्रदर्श क–2**, **क–3**, **क–4** को गवाह को पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा कि उपरोक्त फर्द उनके सामने नहीं लिखा गया और न उपरोक्त फर्द की जानकारी गवाह को है। यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने घटना के बारे में मेरा बयान लिया। गवाह को धारा–161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया व समझाया गया। गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया है।"

(3) अभियोजन की ओर से **PW–3 जया श्रीवास्तव** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "घटना के समय में रायपुर राजा जेल रोड बहराइच में रहती थी। दिनांक–30.08.2011 को दोपहर में मेरे पति के पास फोन आया था। मेरे पति की चचेरी बहन शिल्पी श्रीवास्तव का फोन आया था। शिल्पी ने फोन से कहा था कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। उन्हें डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए आप आ जाए। शिल्पी से फोन पर बातकरने के बाद मेरे पति ने अपने दोस्त आशुतोष श्रीवास्तव को फोन करके बुलाया। आशुतोष के फोन के बाद मेरे पति व आशुतोष के देवर की मोटरसाइकिल से शिल्पी के यहाँ गए थे। यह बात उन्होंने मुझसे बताई थी। लगभग 02.00 बजे दोपहर के समय मेरे पति शिल्पी के यहाँ गए थे। फिर मेरे पति ने कहा था कि मैं चार बजे तक वापस आकर बच्चे को कोचिंग छोड़ दूँगा, लेकिन जब चार बजे तब वह नहीं आए तो मैंने फोन किया, लेकिन रिंग जाने के बाद भी उनका फोन नहीं उठा। कई बार फोन करने के बाद जब फोन नहीं उठा तो मैंने देवर एवं अपनी माँ को फोन करने के लिए कहा तो उनका फोन भी नहीं उठा। मेरे देवर का नाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव है। मेरे देवर एम.आर. का कार्य करते हैं, वह करीब रात में 07–08 बजे घर वापस आए तब हमने उनसे सारी बात बताई, फिर कहा कि बार–बार फोन करने के बाद भी आपके भाई का फोन नहीं उठ रहा है, इसके बाद मैंने अपने देवर से कहा कि वह शिल्पी श्रीवास्तव जो मो० खत्रीपुरा में रहती हैं, उनके घर जाकर वहां लगावे। खत्रीपुरा का मकान मेरे चचिया ससुर, शिल्पी के पापा के नाम है। मेरे कहने के बाद मेरे देवर ने खत्रीपुरा जाकर वहां लगाया तो वहाँ

घर पर ताला लगा था, घर पर ताला क्यों लगा था, इसके बारे में तुरन्त कोई जानकारी नहीं हो पाई थी, फिर हम थाने गए थे। शिल्पी श्रीवास्तव की शादी रितेश श्रीवास्तव के साथ हुई थी, शिल्पी ने शादी दिसम्बर 2007 में हुई थी। शिल्पी कि रितेश से लव मैरिज थी, लेकिन घर वालों की रजामंदी से सारे रीति–रिवाजों के साथ उसकी शादी हुई थी। हम लोगों की इस शादी में कोई रजामंदी की कोई बात नहीं थी, लेकिन चूँकि शिल्पी के माता–पिता की रजामन्दी से शादी हो रही थी, इसलिए हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। शिल्पी की शादी नानपारा में हुई थी। घटना के करीब एक साल पहले से ही शिल्पी नानपारा अपनी ससुराल में नहीं रहती बल्कि अपने माता–पिता के साथ खत्रीपुरा में ही रहती थी। शिल्पी के पति रीतेश श्रीवास्तव पढ़ाई के लिए मेरे चचिया ससुर जगजीवन से पैसा अक्सर मांगा करता था। इस बात को लेकर जब मेरे चचिया ससुर मेरे भाई से बात–चीत करते थे, तो वह उन्हें परेशान देखकर पैसा देने से उनको मना करते थे। हो सकता है कि इसी रंजिश को लेकर शिल्पी भी अपने पति रीतेश से मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी हो। घटना की एफ.आई.आर.मेरे देवर शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने लिखाई थी। इस मामले में दरोगा जी ने मुझसे बात–चीत की थी और मेरा बयान अंकित किया था

(4) अभियोजन की ओर से **PW–4 फूलमती** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "मेरा घर नई पानी टंकी के पास मो० खत्रीपुरा में है, मेरे घर के सामने जगजीवन लाल श्रीवास्तव का मकान है, जगजीवन लाल श्रीवास्तव की लड़की का नाम शिल्पी श्रीवास्तव था, जिनकी शादी नानपारा में रीतेश श्रीवास्तव के साथ हुई थी। शिल्पी अपने ससुराल से मायके आती जाती रहती थी। जीतेन्द्र कुमार यहां नहीं रहते थे, उनको मैं नहीं जानती। मुझको नहीं पता कि आज से तेरह साल पहले जीतेन्द्र की हत्या हुई थी। मुझे जानकारी नहीं है कि जीतेन्द्र हत्या वाले दिन एक आदमी के साथ जगजीवन लाल के घर आए थे और शिल्पी के साथ ऊपर चले गए थे, मुझे नहीं पता कि कौन–कौन लोग घर के अंदर गए थे और कौन–कौन से लोग बाहर निकले थे। मुझको नहीं पता कि इण्डिका गाड़ी में बैठकर कौन–कौन लोग चले गए थे। उस दिन रात में करीब 08 बजे शिल्पी, रीतेश व – घर से वापस बैग व सामान लेकर इण्डिका में रखे और उसमें बैठकर जा रहे थे या नहीं मैं नहीं बता सकती। मुझे नहीं पता कि राजन श्रीवास्तव उनका रिश्तेदार वहां

आया था, रास्ते में मिला तब शिल्पी ने कहा था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। उसी समय दरोगा जी को मैंने यह बात नहीं बताई थी, कि जाते समय तीनों लोगों को बहुत से लोगों ने जगजीवन लाल के किराएदार पाण्डेय जी ने भी देखा था, चाहे उनसे पूछ लो।"

(5) अभियोजन की ओर से **PW–5 डॉ० बृजेश श्रीवास्तव** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "दिनांक–14.09.2011 को मैं जिला चिकित्सालय बाराबंकी में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत था, उसी दिन मृतक जीतेन्द्र श्रीवास्तव के शव का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा 12:30 पी.एम. पर किया गया था, मृतक का शव का० 153 दिनेश कुमार थाना मसौली, जनपद–बाराबंकी लेकर आए थे। मृतक के शव की पहचान थाना मसौली की पुलिस के बताने के आधार पर हुई थी। मृतक के शव में चार अंग पाए गए थे, जिसमें दोनों अपर लिम्ब थी, दोनो लोवर लिम्ब पाए गए थे। शव के अंगों में सड़न शुरू हो गई थी। त्वचा उधड़ रही थी। अंगो के नाखून निकले थे तथा सूजन आ गई थी। त्वचा का रंग पूरा नीला था।

अंगो का विवरण–

1. दाहिना पूरा हाथ, जिसकी लम्बाई 58 से.मी. थी, जिस पर 4x6 से.मी. x आर–पार कटा हुआ घाव था, घाव क्लीन कट था,
2. बांया पूरा हाथ, जिसकी लम्बाई 62 से.मी. थी, जिस पर 10x7 सेमी.x आर–पार कटा हुआ घाव था, जो क्लीन कट था,
3. दाहिना पूरा पैर जिसकी लम्बाई 65 से.मी. थी, जिस पर 21x9 से.मी. x आर–पार कटा हुआ घाव, जो क्लीन कट था,
4. बाया पूरा पैर, जिस पर 20x11 से.मी. x आर–पार कटा हुआ क्लीन कट घाव मौजूद था।

मृतक के अंगों पर उपरोक्त मृत्यु पूर्व चोटें पाई गई थी। मृत्यु का समय जानने के लिए अंगों को एक्स–रे के लिए भेजा गया था। मृतक के केवल अंगों के आधार पर मृत्यु का सही कारण नहीं बताया जा सकता है। मृतक के अंगों को संरक्षित करत हुए डी.एन.ए. टेस्ट के लिए विधि–विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है, जो कि मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने

अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था

(6) अभियोजन की ओर से **PW–6 बहादुर उर्फ लाल बहादुर** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "घटना लगभग 14 साल पहले की है। दरोगा जी हमको लेकर गए थे। गाड़ी में अभियुक्त को दरोगा जी हथकड़ी लगाकर बैठाए थे, दरोगा जी ने मेरे सामने दरोगा जी ने अभियुक्त से पूछा था कि लाश को कैसे–कैसे काटकर फेंका है, तब अभियुक्त ने बताया कि हाथ व पैर एक बैग में था। सीना और सिर नहीं मिला था। हम लोगों को दरोगा जी मसौली थाना के पास नहर के पास लेकर गए थे। हम लोग गाड़ी से उतरकर देखा कि नहर में एक बैर का पेड़ लटका हुआ था और उसमें एक बैग फंसा हुआ था, बैग को हमारे साथ गए लोगों ने बैर के पेड़ से उतारा था। बैग को मेरे सामने दरोगा जी ने खोलवाकर देखा था, तो उसमें हाथ पैर के टुकड़े मिले, दरोगा जी लिखा–पढ़ी करके मेरे निशानी अंगूठा लगवाया नहीं था। दरोगा जी मुझसे पूछताछ नहीं की थी।" पी.डब्ल्यू–6 बहादुर उर्फ लाल बहादुर पुनः न्यायालय पर उपस्थित होकर पुनः अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि "शामिल फर्द लाभ के टुकड़ों की मृतक जीतेन्द्र श्रीवास्तव शामिल पत्रावली है, जो मौके पर दरोगा जी ने लिखा–पढ़ी करके हम लोगों के समक्ष टाप दस्तखत कराया था, जिस पर साक्षी ने अपने बने निशानी अंगूठा की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। मृतक जीतेन्द्र श्रीवास्तव के दो हाथ व दो पैर का पंचनामा दरोगा जी ने मौके पर पंचाग की मौजूदगी में लिखा था, जिसको पढ़कर सुनाया था, जिस पर साक्षी ने बने अपने टाप निशानी अंगूठा की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछ–ताछ नहीं किया था।"

(7) अभियोजन की ओर से **PW–7 योगेन्द्र नाथ सिंह रिटायर्ड एस.एच.ओ** ने वी.सी. के माध्यम से न्यायालय पर उपस्थित होकर मुख्य परीक्षा साक्ष्य में बयान दिया है और कहा है कि "घटना दिनांक–30.08.2011 अपराध सं०–1254/2011, धारा–302/201 भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली देहात बनाम शिल्पी आदि में पहली विवेचना पूर्व विवेचक श्री जय करन सिंह एस.एच.ओ. द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा पर्चा सं०–1 से लेकर पर्चा सं०–11 तक उनके द्वारा

किता किया गया था और इसके बाद की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी, दिनांक–11.09.2011 को मेरे द्वारा पर्चा सं०–12 मेरे द्वारा किता किया, जिसमें विवेचना ग्रहण हुई। पर्चा सं०–13 मेरे द्वारा दिनांक–12.09.2011 में मेरे द्वारा किता किया गया। इसमें पूर्व विवेचक द्वारा काटी गई, केस डायरी का अवलोकन कर इन्द्राज पर्चे में किया। इसके बाद का पर्चा सं०–14 एस.एस.आई. श्री अंगद राय द्वारा किता किया गया और विवेचना इस पर्चे की उनके द्वारा किया गया, चूंकि मैं हाईकोर्ट पैरवी में गया था। पर्चा सं०–15 दिनांक–15.09.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मृतक जीतेन्द्र श्रीवास्तव की मोटरसाइकिल नहीं मिला, लेकिन घटना प्रायुक्त अभियुक्त रितेश श्रीवास्तव की गाड़ी टाटा इंडिका यू.पी. 40 के. 2865 चारबाग लखनऊ टाटा मोटर सर्विस से अपने कब्जे में ले लिया, जिसका इन्द्राज दिनांक–14.09.2011 को 22–55 बजे कब्जे में लेकर थाने पर दाखिल किया, पर्चा सं०–16 मेरे द्वारा दिनांक–16.09.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मृतक के पोस्टमार्टम का अवलोकन कर केस डायरी में अंकन किया गया और मृतक के एक्स–रे रिपोर्ट का अंकन किया। मृतक के अन्य अंगों की तलाश हेतु जनपद बलरामपुर में तलाश हेतु डी.सी.आर.बी. में सूचना दिया था, दिनांक–18.09.2011 को पर्चा स०–17 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मुखबिर की सूचना पर मुल्जिम रितेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव तथा वजीर अहमद को गिरफ्तार किया। इनकी निशादेही पर एक अदद मोटरसाइकिल मृतक जीतेन्द्र श्रीवास्तव की बरामद किया। जिसकी फर्द मेरे द्वारा तैयार की गई। मूल फर्द शामिल मिसिल है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया, जिस पर साक्षी ने बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। फर्द का केस डायरी में अंकन किया। पर्चा सं०–18 मेरे द्वारा दिनांक–20.09.2011 के किता किया गया, जिसमें मृतक जीतेन्द्र कुमार का तृतीय पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर अंकन किया। पर्चा सं०–19 दिनांक–22.09.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें घटना स्थल से प्राप्त बण्डलों ए.बी. व सी. का विवरण केस डायरी में अक्षरशः अंकन किया और उन्हें एफ.एस.एल. लखनऊ प्लाट नम्बर–6971 व 6981 पर दिनांक–09.09.2011 को दाखिल कराया गया, जिसकी पावती का अंकन केस डायरी में किया तथा मोटर टाटा सेल्स लखनऊ में वर्क शाप से जो कार कब्जे में लिया था, उसके कागजात का विवरण व रजिस्ट्रेशन के छायाप्रति व अन्य

कागजात की छायाप्रति केस डायरी के साथ दाखिल किया। पर्चा सं०–20 दिनांक–25.09.2011 को मेरे द्वरा किता किया गया, जिसमें मृतक का पंचनामा अवलोकन किया तथा अवलोकन कर अंकन किया। पर्चा सं०–21 मेरे द्वारा दिनांक–27.09.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मृतक के डी.एन.ए. परीक्षण की कार्यवाही शेष होना अंकित है तथा पंचायतनामा के गवाह खूबलाल पुत्र राजदेव का बयान अंकित किया। पर्चा सं०–22 दिनांक–30.09.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें पंचायतनामा के गवाहान शैलेन्द्र श्रीवास्तव, राज कुमार सिंह, सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव व लाल बहादुर के बयानात अंकित किए गए। पर्चा सं०–23 मेरे द्वारा दिनांक–07.10.2011 को किता किया गया, जिसमें मृतक के बरामद शुदा अंगों को कब्जे में लेकर डी.एन.ए. हेतु विशेषज्ञ को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था और नाखून छोटी अंगुली का व त्वचा के कुछ भाग का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है, जिसे भेजा जाना था। पर्चा सं०–24 दिनांक–14.10.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें पोरस्टमार्टमकर्ता डॉ० वी.के. श्रीवास्तव जनपद बाराबंकी का बयान व पंचायतनामा लेखक एस.आई. सत्यव्रत राय का बयान अंकित किया। पर्चा सं०–24 ए दिनांक–14.10.2011 को ही रिमाण्ड हेतु किता किया था। पर्चा सं०–25 दिनांक–15.10.2011 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मृतक की बरामदगी व अन्य साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण श्रीमती शिल्पी, रितेश व वजीर अहमद के विरुद्ध धारा–302, 201 भा०दं०सं० में आरोप–पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जबकि डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी। चूंकि मुल्जिमान जेल में थे, इसलिए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। शामिल पत्रावली आरोप–पत्र मेरे हस्तलेख में है, दो पेज में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। माल मुकदमाती मटोरसाइकिल जो थाने पर दाखिल था, अपने कब्जे में ली थी तथा उसका तस्करा सी.डी. सं०–17 दिनांक–18.09.2011 में अंकन किया गया है।"

(8) अभियोजन की ओर से **PW–8 रिटायर्ड निरीक्षक जयकरन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में न्यायालय पर बयान दिया है और कहा है कि "दिनांक–31.08.2011 को मैं थाना–को० देहात में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन अ०सं०–1254/2011, धारा–302/201 भा०दं०सं०

बनाम शिल्पी श्रीवास्तव आदि की विवेचना मैंने ग्रहण कर शुरू की थी। पर्चा सं०–1 दिनांक–31.08.2011 को काटा, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, कायमी, नकल रपट गुमशुदगी, नकल रिपोर्ट डी.सी.आर.बी. नकल रिपोर्ट, एस.पी. बहराइच, मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट, बयान एफ.आई.आर. लेखक एच.एम. शिवदास वर्मा का पूछताछ कर बयान अंकित किया। शिवदास वर्मा मेरे साथ नियुक्त रहे हैं, जिनका लेख व हस्ताक्षर मैं पहचानता हूँ, जिन्होंने वादी की तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर. किता किया था, जो संलग्न पत्रावली है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में हैं, मैं पहचानता हूँ, जिन्होंने वादी की तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर. किता किया था, जो संलग्न पत्रावली है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया, जिसकी जी.डी. कायमी की कार्बन प्रति शामिल पत्रावली है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। न्यायालय की अनुमति से एफ.आई.आर. लेखक सेकेण्ड्री साक्ष्य कराया गया। पर्चा सं०–2 मेरे द्वारा दिनांक–01.09.2011 को काटा, जिसमें बयान वादी, बयान गवाह उमेर पाण्डेय, बयान मकान मालिक जगजीवन लाल श्रीवास्तव व निरीक्षण घटना स्थल गुमशुद, जितेन्द्र, मकान मालिक जग जीवन श्रीवास्तव की निशादेही पर किया गया और मौके पर निरीक्षण घठना स्थल तैयार किया गया, जो संलग्न पत्रावली है तथा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जो शामिल पत्रावली है, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। बयान साक्षी रमेश बहादुर का बयान अंकित किया। बयान श्रीमती फूलमती व बयान मकान मालिक श्रीमती बिनू श्रीवास्तव का अंकित किया। पर्चा सं०–3 दिनांक–02.09.2011 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त श्रीमती शिल्पी व अभियुक्त रितेश की तलाश किया गया। पर्चा सं०–iiird –ए दिनांक–02.09.2011 को किया किया गया, जिसमें गवाह आशुतोष कुमार श्रीवास्तव का बयान अंकित किया गया। पर्चा सं०–4 दिनांक–03.09.2011 को किता किया, जिसमें अभियुक्त के एन.बी.डब्ल्यू अदम तामीला वापस किए गए। पर्चा सं०–5 दिनांक–04.09.2011 को किता किया गया, जिसमें अवधेश कुमार व निलेश श्रीवास्तव व सत्य प्रकाश विश्वकर्मा का बयान अंकित किया गया। पर्चा सं०–6 दिनांक–05.09.2011 को किता किया गया, जिसमें बयान श्रीमती जया श्रीवास्तव का अंकित किया गया। पर्चा सं०–7 दिनांक–06.09.2011

को किता किया गया, जिसमें गवाह प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव का बयान अंकित किया गया। पर्चा सं०–8 दिनांक–07.09.2011 को किता किया गया, जिसमें तलाश वांछित अपराधी शिल्पी व रितेश की मोबाइल कॉल डिटेल प्राप्त की गई। पर्चा सं०–9 दिनांक–08.09.2011 को किता गया, जिसमें मोबाइल कॉल डिटेल प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट दी गई। पर्चा सं०–10 दिनांक–09.09.2011 को किता किया गया, जिसमें गवाह विनीत सिंह का बयान अंकित किया गया। पर्चा सं०–11 दिनांक–10.09.2011 को किता किया गया, जिसमें मेरा स्थानान्तरण होने का उल्लेख किया गया।"

9. प्रदर्श क–10 पोस्टमार्टम रिपोर्ट–

Details of body part–

1. Member one (Rt. Upper extremity) Length 58 cm length of hand 15x7 cm, size of wounds 14 cm x 6cm through and through margins clean cut all the muscles & bones are clean cut (at the proximal end of rt. Arm) skin & nails peeled off.
2. Member two (Left upper extremity) Length 62 cm size of wound 10 cm x 7cm x through and through margins clean cut all the muscles and bone are clean cut (at the proximal end of Left Arm)
3. Member three (Right lower extremity) Length 65 cm, length of sole 21 cm x 8 cm, size of wound 21 cm x 9 cm, clean cut.
4. Member four Left leg length 21 cm x 11 cm, margins clean cut

Cause of Death could not ascertained as only multiple parts present for postmortem examination parts of body sealed and send to State Medico Legal expert fro dna testing/ further examine and opinion.

10. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय

अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

11. अभियोजन कथानक है कि प्रथम सूचना दाता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बड़े भाई मृतक जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के सम्बन्ध में दिनांक 30–08–2011 को गुम हो जाने की सूचना दी थी। दिनांक–31–08–2011 को प्रथम सूचना दाता की भाभी मृतक की पत्नी जया श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक–30–08–2011 को दोपहर में शिल्पी श्रीवास्तव का फोन डॉक्टर को दिखाने के लिए मृतक के पास आया था। शिल्पी श्रीवास्तव चाचा की पुत्री है। जया श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक उनकी मोटरसाइकिल से आशुतोष कुमार श्रीवास्तव के साथ गए थे। शिल्पी श्रीवास्तव व रितेश कुमार श्रीवास्तव में प्रेम था। मजबूर होकर 2007 में सभी परिवार मिलकर शादी करा दिए। जीतेन्द्र कुमार परिवार के बिना मर्जी से शादी चुनने पर शिल्पी का सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे, जिससे शिल्पी उसका पति रितेश, जीतेन्द्र से नाराज रहते थे। पिछले रक्षाबन्धन रितेश व शिल्पी खत्रीपुरा शिल्पी का मायका है, वहां आए थे। दोनों ने माफी मांग लिया था। दिनांक–31–08–2011 को शिल्पी के घर पहुँचा तो ताला लगा था। आशुतोष के घर जाकर पूछा तो बताया कि कल जीतेन्द्र को करीब दो बजे दिन में शिल्पी के घर छोड़कर चला गया था, और कुछ नहीं जानता। शिल्पी के घर खत्री पुरा आया तो वहाँ भूतल पर किराएदार उमेश पाण्डेय मिले, उन्होंने बताया कि शिल्पी रितेश व रितेश का दोस्त वजीर कल दिनांक–30–08–2011 को आठ बजे सायं अपना सामान दो बोरी में रखकर इण्डिका कार से चले गए। मेरे सामने ही जीतेन्द्र कुमार अपनी मोटर साइकिल से एक आदमी के साथ दरवाजे पर आए, व्यक्ति दरवाजे से चला गया, जीतेन्द्र कुमार सीढ़ी से ऊपर चले गए, मैं नहीं जानता कि ऊपरी तल पर कहाँ गए, उनकी मोटरसाइकिल कहाँ है। पाण्डेय ने बताया कि एक आदमी पैदल ही बडीटाट की ओर से खत्रीपुरा होकर जा रहा था, जो इण्डिका कार से करीब आठ बजे जा रहे थे, मकान मालिक की लड़की व उसकी लड़की नमस्कार किए। काफी तलाश करने पर शिल्पी व रितेश का मोबाइल से सम्पर्क करना चाहा तो बंद मिला। इण्डिका कार का नम्बर यू.पी. 40 के. 2865 है। रितेश व शिल्पी के प्रेम विवाह के विरोध से सामाजिक बहिष्कार से मेरे भाई जीतेन्द्र से काफी रंजिश रखते थे, इस कारण रितेश व उसके साथी वजीर ने

रंजिश से मेरे भाई की हत्या कर दी। अभियोजन कथानक से विदित होता है कि प्रश्नगत मामले में हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त शिल्पी व रितेश ने प्रेम विवाह किया था, जिससे मृतक ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, प्रेम विवाह का विरोध किया था। मृतक को अंतिम बार अभियुक्तगण केा साथ देखा गया था। अवधार्य बिन्दु है कि–

1. अभियुक्त रितेश व शिल्पी ने प्रेम विवाह किया था, मृतक जीतेन्द्र प्रेम विवाह से खुश नहीं था। अभियुक्त शिल्पी व रितेश का सामाजिक बहिष्कार किया था, यह रंजिश अभियुक्तगण को थी। इसी उद्देश्य से जीतेन्द्र कुमार की हत्या कर दी गई।
2. उमेश पाण्डेय व अन्य लोगों ने अंतिम बार अभियुक्तगण को मृतक के साथ देखा था।

12. शरद बिरधीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस सी सी 116, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था :

> "इस विनिश्चय का सूक्ष्म विश्लेषण दर्शित करेगा कि निम्नलिखित शर्तें अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णरूप से साबित किया गया कहे जा सकने के पूर्व पूरी की जानी चाहिये :
>
> (1) परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना होगा, पूर्णरूप से साबित की जानी चाहिये। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने इंगित किया था कि सम्बन्धित परिस्थितियाँ "साबित की जानी चाहिये" और न कि "साबित की जा सकेंगी"। "साबित की जा सकेंगी" और "साबित की जानी चाहिये" के बीच न केवल व्याकरणिक, बल्कि विधिक अन्तर है, जैसे कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहब राव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस सी सी 793] में अभिनिर्धारित किया गया था, जहाँ संप्रेक्षण किये गये थे (एस० सी० सी० पैरा 19, पृष्ठ, 807)
>
> "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धान्त है कि अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा सिद्धदोष किये जा सकने के पूर्व दोषी होना चाहिये और न कि केवल दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिये' के बोच अन्तर लम्बा है और निश्चित निष्कर्षों से संदिग्ध अटकलबाजी को विभाजित करता है।"
>
> (2) इस प्रकार, स्थापित तथ्यों को केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना से संगत होना चाहिये, अर्थात् उन्हें किससी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण

योग्य नहीं होना चाहिये सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिये,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना के सिवाय प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिये, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिये, जो अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिये कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और दर्शित करना चाहिये कि सभी मानवीय संभाव्यता में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

13. अवधार्य बिन्दु सं.–1–

पी.डब्ल्यू–1 प्रथम सूचना दाता ने बयान दिया कि शिल्पी का रितेश से प्रेम सम्बन्ध था, जो हमारे भईया जीतेन्द्र श्रीवास्तव को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मेरे भईया रितेश से रंजिश रखते थे और आना जाना नहीं था, पर विगत पिछले रक्षाबन्धन से शिल्पी श्रीवास्तव अपने पति के साथ खत्रीपुरा बहराइच अपने पापा के मकान में रहने लगी थी और मेरे भाइयों से रितेश श्रीवास्तव ने माफी मांग लिया था और उनको शान्त करा दिया था। प्रतिपरीक्षा में बयान दिया कि शिल्पी के माता–पिता को रितेश और शिल्पी के विवाह पर आपत्ति थी, लेकिन दोनों के विवाह होने के पश्चात् उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, उक्त शादी में मैं, मेरा परिवार, जीतेन्द्र, उसका परिवार शामिल हुए थे। यह विवाह शिल्पी के पिता जी के घर से हुआ था। विवाह में कोई विवाद किसी से नहीं हुआ था। विवाह के बाद रितेश व शिल्पी नानपारा रहते थे। विवाह के कुछ दिन बाद बहराइच में ही रहते थे। जीतेन्द्र का भी आना–जाना था। उसकी पत्नी भी आती–जाती थी, लेकिन शिल्पी मेरे घर व जीतेन्द्र के घर नहीं आती–जाती थी। शिल्पी व रितेश मुझसे व जीतेन्द्र से सम्बन्ध नहीं रखना चाहते थे। पी.डब्ल्यू.–1 के बयान से यह विदित होता है कि अभियुक्त शिल्पी व रितेश के मध्य प्रेम था। शिल्पी के पिता के घर में शादी हुई थी। शादी होने के पश्चात अभियुक्त शिल्पी के पिता ने दोनों को स्वीकार कर दिया था। शादी में परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। शादी में कोई विवाद नहीं हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद अभियुक्त शिल्पी अपने पिता के घर रहने लगी थी। मृतक व उसके परिवार का आना–जाना रहता था। उक्त बयान से प्रेम विवाह की रंजिश होने का तथ्य प्रलक्षित नहीं होता है।

14. पी.डब्ल्यू–3 जया श्रीवास्तव मृतक की पत्नी ने बयान दिया कि शिल्पी श्रीवास्तव की शादी रितेश श्रीवास्तव के साथ हुई थी। शिल्पी की शादी 2007 में हुई

थी। शिल्पी और रितेश की लव मैरिज थी। लेकिन घर वालों की रजामंदी से सारे रीति–रिवाजों के साथ शादी हुई थी। हम लोगों की इस शादी में कोई रजामंदी की कोई बात नहीं थी। लेकिन चूँकि शिल्पी के माता–पिता के रजामंदी से शादी हो रही थी, इसलिए हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। प्रतिपरीक्षा में बयान दिया कि शिल्पी और रितेश की शादी में मैं, मेरे पति, मेरे चचिया ससुर व सास तथा परिवार के सभी लोग शामिल हुए थे, इस शादी में मैंने भाभी की सभी रस्म निभाई थी। मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि रितेश अपनी पढ़ाई के लिए चचिया ससुर जगजीवन से पैसा अक्सर मांगा करता था, इसको लेकर मेरे चचिया ससुर मेरे पति से बात–चीत करते थे, तब वह उन्हे परेशान देखकर पैसा देने से मना करते थे, हो सकता है, इसी रंजिश को लेकर शिल्पी व उसके पति ने मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी। पी.डब्ल्यू–3 के उक्त बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त शिल्पी व रितेश का विवाह शिल्पी के घर में हुआ था, परिवार में सभी लोग उपस्थित थे। शिल्पी के पिता को विवाह से कोई एतराज नहीं था। पी.डब्ल्यू–3 ने बयान दिया कि रितेश अपने ससुर से पढ़ाई के लिए पैसे मांगता था। मृतक ने पैसा देने से मना करता था। हो सकता है, इसी रंजिश से हत्या की गई हो। यह नया तथ्य रंजिश का लाया गया है, जिसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है। पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–3 के उक्त बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त शिल्पी व रितेश की शादी परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में हुई थी, शादी के समय कोई विवाद नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद शिल्पी अपने पिता के घर आकर रह रही थी। परिवारों का एक–दूसरे के यहाँ आना–जाना था। विवाह के पश्चात् परिवारों में तनाव नहीं था। उपरोक्त बयान से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जो अभियोजन के इस कथानक को बल दे सके कि मृतक ने अभियुक्त शिल्पी व रितेश के प्रेम विवाह का विरोध व सामाजिक बहिष्कार किया था, इसी रंजिश को लेकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अतः अवधार्य बिन्दु सं०–1 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

15. अवधार्य बिन्दु सं०–2–

पी.डब्ल्यू–1 ने बयान दिया कि मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि शिल्पी श्रीवास्तव के घर दिनांक–31–08–2011 को गया था। घर पर ताला लगा हुआ था। आस–पास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि शिल्पी श्रीवास्तव व

उसका पति रितेश श्रीवास्तव, उसके साथ एक लड़का और था, वह लोग शाम 30–08–2011 को अपनी इण्डिका कार से बड़े–बड़े थैले में सामान लेकर गाड़ी से चले गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उमेश कुमार पाण्डेय का उल्लेख किया गया है, इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू–2 उमेश कुमार पाण्डेय ने बयान दिया कि जगजीवन लाल की एक बेटी थी, उसका नाम शिल्पी श्रीवास्तव है। जगजीवन के भतीजे का नाम जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव है और शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव है, दोनों लोग मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव हैं। मैं भी हूँ। इसलिए दोनों लोगों को जानता हूँ। जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आखिरी बार जगजीवन को किस तारीख को आए थे, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे किराए का कमरा भूतल पर था। जगजीवन का कमरा प्रथम तल पर था। घटना वाले दिन मैं घर पर मौजूद नहीं था, घटना कारित होने के बाद मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी, जितेन्द्र का खून हो गया है। शिल्पी की शादी किसके साथ हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। शिल्पी ने प्रेम विवाह किया था तथा उसके लिए जीतेन्द्र श्रीवास्तव उसका विरोध करते थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दरोगा जी की मुझसे कोई बात–चीत नहीं हुई थी, दरोगा जी ने मुझसे दो–तीन कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। दिनांक 01 सितंबर को दरोगा जी घटना स्थल पर मेरे सामने नहीं आए थे। फर्द बरामदगी, माल घटना स्थल दिनांक–01–09–2011 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फर्द सं०–2 व फर्द सं०–3 पर क्रमशः प्रदर्श 3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। गवाह ने बताया कि उपरोक्त फर्द उसके सामने नहीं लिखा गया है और न ही उसकी जानकारी है। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। पी.डब्ल्यू०–2 उमेश कुमार पाण्डेय ने घटना वाले दिन घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इंकार किया है। तथा अभियुक्तगण को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने के तथ्य से इंकार किया है। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा फर्द बरामदगी के तथ्यों से इंकार किया है। पी.डब्ल्यू–4 फूलमती ने बयान दिया कि मेरे घर के सामने जगजीवन लाल श्रीवास्तव का मकान है। जगजीवन लाल की लड़की का नाम शिल्पी है। मुझे जानकारी नहीं है कि जीतेन्द्र हत्या वाले दिन एक आदमी के साथ जगजीवन लाल के घर आए थे और शिल्पी के साथ ऊपर चले गए थे। मुझे नहीं पता कि कौन–कौन लोग घर गए थे। कौन–कौन बाहर निकले थे। मुझको नहीं पता कि इण्डिका गाड़ी में

बैठकर कौन लोग चले गए थे। रात को करीब आठ बजे शिल्पी रितेश व वजीर घर से बैग व सामान लेकर इण्डिका में रखे थे, बैठकर जा रहा थे या नहीं मैं नहीं बता सकती। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। पी.डब्ल्यू–4 ने अभियोजन पक्ष के कथनों का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने के तथ्य से इंकार किया है। पी.डब्ल्यू–1 ने बयान दिया कि आशुतोष श्रीवास्तव के घर गया। आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि जीतेन्द्र को शिल्पी के घर छोड़कर अपने घर चला आया। पी.डब्ल्यू–3 ने बयान दिया कि आशुतोष के आने के बाद मेरे पति आशुतोष देवर की मोटरसाइकिल से शिल्पी के यहां गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा कागज सं०–59 ए प्रस्तुत करते हुए आशुतोष श्रीवास्तव को गवाही से उन्मोचित कर दिया गया। पी.डब्ल्यू–1 ने प्रतिपरीक्षा में बयान दिया कि वह मोटरसाइकिल जो जीतेन्द्र की थी, उसे पुलिस द्वारा बरामद की गई थी और उसको मेरे द्वारा न्यायालय से रिलीज करा लिया गया था, रिलीज के लिए मैंने अदालत में दरख्वास्त दिया था। पत्रावली में शामिल प्रार्थना पत्र रिलीज मोटरसाइकिल पेपर सं०–11 को देखकर गवाह ने बताया कि इसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रार्थना–पत्र पर मैंने यह लिखाया था कि जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की हत्या से सम्बन्धित मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा घंटाघर, बहराइच से बरामद की गई थी, वह गाड़ी मेरे पक्ष में रिजील कर दिया जाए। यह भी लिखाया था कि घटना वाले दिन जीतेन्द्र मुझसे मोटरसाइकिल मांग कर ले गए थे। प्रदर्श क–5 फर्द बरामदगी मोटरसाइकिल का अवलोकन किया गया। मोटरसाइकिल की बरामदगी ग्राम अमीनपुर नगरौरा में स्थित आसाम रोड बहराइच बलरामपुर रोड के किनारे स्थित श्री सलभ खन्ना की ईंट भट्टा के पास पोखरे के दक्षिण पानी के अंदर से बरामद किया गया, नम्बर प्लेट पर कीचड़ लगा था, पोछा गया तो नम्बर प्लेट पर यू.पी. 32 सी.वी. 1263 लिखा हुआ है। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल की बरामदगी पानी गड्ढे में से दिखाई गई है। वादी मुकदमा ने रिलीज प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि गाड़ी घंटाघर से बरामद हुई है। उसको रिलीज किया जाए। रिलीज प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू–1 ने बयान दिया गया कि उक्त रिलीज प्रार्थना पत्र उसके द्वारा दाखिल किया गया है। अतः पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल की बरामदगी अभियोजन पक्ष के गवाह प्रथम सूचना दाता के उपरोक्त बयान से संदिग्ध प्रतीत होती है। मृतक का

अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखे जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य अभियोजन द्वारा दिया गया है। पी.डब्ल्यू–2 उमेश कुमार पाण्डेय, पी.डब्ल्यू–4 फूलमती ने अपने उपरोक्त बयान में मृतक का अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखे जाने के तथ्य से इंकार किया है। उक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अतः अवधार्य बिन्दु सं०–2 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

16. उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह साबित है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को जोड़ नहीं पाया है। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन कथनाक में घटना का उद्देश्य प्रेम विवाह की रंजिश को बताया है। यह साबित करने में असफल है। मृतक का अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखे जाने के सम्बन्ध में तथ्य को साबित करने में असफल रहा है। परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी ऐसी नहीं जुड़ रही है, जो अभियुक्तगण को दोषसिद्धी की ओर ले जाए।

17. उपरोक्त विवेचना व साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में पर्याप्त एवं भौतिक विरोधाभाष व विसंगति होने के कारण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अतः अभियोजन अपना कथानक संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

18. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव पर लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०द०सं० आरोपों को युक्ति–युक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या–19/2013, अपराध संख्या–1254/2011, थाना को० देहात, जनपद–बहराइच के मामले में अभियुक्तगण शिल्पी श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान उपस्थित रहने हेतु प्रस्तुत जमानतनामा व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से

उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437(A) द०प्र०सं० 1973 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 50,000/–रुपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील एवं याचिका संस्थित की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे आहूत किया जाता है तो वह उपस्थित होगा। अभियुक्तगण द्वारा दाखिल बन्धपत्र व प्रतिभू इस निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

(सुनील प्रसाद)

दिनांकः 28.03.2026 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(सुनील प्रसाद)

दिनांकः 28.03.2026 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।